न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

मुकदमा नंबर 01/2023 निर्णय दिनांक 08.02.2024
ऑनलाईन नंबर 2023/2

1. श्रीकिशन पुत्र कानदास जाति बैरागी निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शांति पुत्री कानदास जाति बैरागी निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

— प्रार्थीगण—

बनाम

1. कानदास पुत्र थानदास जाति बैरागी निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर ।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थीगण
2. एकतरफा कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 01
3. स्टेट की ओर से राजपैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 गांव लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के निवासीगण हैं तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र/पुत्री हैं। प्रार्थीगण के दादा थानदास की संयुक्त खातेदारी के गत खाता संख्या 112 खेत खसरा नम्बर 265 तादादी 69 बीघा 11 बिस्वा व खाता संख्या 113 के खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 24 बीघा 17 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 234 तादादी 32 बीघा 2 बिस्वा खेत खसरा नम्बर 236 तादादी 7 बीघा 15 बिस्वा कुल तादादी 64 बीघा 14 बिस्वा रोही मौजा लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित रहे हैं। वादगत खेतो में प्रार्थीगण के दादा थानदास का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा हैं। प्रार्थीगण के दादा थानदास की मृत्यु के बाद वादगत खेतो की खातेदारी थानदास के जायज वारिसान गीता पत्नी थानदास, सत्यनारायण व प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 कानदास के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज हुई। वादगत खसरा नम्बर पुराने 265 के नये खसरा नम्बर 764 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 265 मीन के नये खसरा नम्बर 765 तादादी 0.02 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 766 तादादी 0.01 हैक्टेयर खेत खसरा नम्बर 767 तादादी 0.02 हैक्टेयर खेत खसरा नम्बर 768 तादादी 17.53 हैक्टेयर व वादगत खसरा नम्बर पुराने 222 के नये खसरा नम्बर 620 तादादी 6.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर पुराने 234 के नये खसरा नम्बर 660 तादादी 8.12 हैक्टेयर खेत खसरा नम्बर पुराने 236 के नये खसरा नम्बर 664 तादादी 1.96 हैक्टेयर वाकेरोही लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर कायम हुये । वादगत खसरा नम्बर संयुक्त खातेदारों के मध्य हुये विभाजन के उपरांत स्व. थानदास के वारिसानों के हिस्से में खेत खसरा नम्बर 1580/768 तादादी 0.87 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1586/660 तादादी 2.13 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1591/664 तादादी 0.49 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुये एवं नये खाता [illegible] प्रार्थीगण की दादी गीता ने अपने हिस्से का परित्याग प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 कानदास व सत्यनारायण उर्फ छतुदास के पक्ष में [illegible] किया तद्उपरांत अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने भाई के साथ विभाजन कर लिया व वादगत खेतो में हुये विभाजन के उपरांत अप्रार्थी संख्या 1 हिस्से पांती में [illegible] खेत खसरा नम्बर 1650/1580 तादादी 2.9350 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर [illegible]/1586 तादादी 1.0650 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1655/1591 तादादी 0.2450 हैक्टेयर वाकेरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned with OKEN Scanner

लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। प्रार्थीगण का वादगत खेत खसरा नम्बर 1650/1580 तादादी 2.9350 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1652/1586 तादादी 1.0650 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1655/1591 तादादी 0.2450 हैक्टेयर वाकेरोही लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर कुल तादादी 4.2450 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का 1/3–1/3 हिस्सा जायज व कानूनन बनता हैं। प्रार्थीगण अपने कानूनी हिस्से को कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में लेते रहे आ रहे है। प्रार्थीगण वादगत खेतो में अपने 1/3 हिस्सा भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाकर वादगत खेत का विभाजन करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 1650/1580 तादादी 2.9350 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1652/1586 तादादी 1.0650 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1655/1591 तादादी 0.2450 हैक्टेयर वाकेरोही लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर कुल तादादी 4.2450 हैक्टेयर प्रार्थीगण के पैतृक खेत हैं। प्रार्थीगण का वादगत खेत में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीगण का 1/3–1/3 हिस्सा संयुक्त हिस्सा बनता हैं। प्रार्थीगण अपने नाम से 1/3–1/3 हिस्सा की खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादगत खेतो की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चली आने से अप्रार्थी संख्या 1 वादगत खेत को अजनबी व्यक्तियों के नाम विक्रय, बैय, हस्तान्तरण करने में आमादा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की माता से अलग रिहायश करता है, प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की माता वादगत खेतो में ही ढ़ाणी बनाकर रहते है तथा खेतो को काश्त करते हैं । अप्रार्थी संख्या 1 ने वादीगण को दिनांक 27.12.2022 को वादगत खेत से बेदखल करने हेतु ऐलानियां धमकी दी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अपने गलत मंशुबो सफल हो गया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा, जिसकी पूर्ति किसी भी रूप से संभव नही होगी। अप्रार्थी संख्या 1 के गलत कार्यो के रोका जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। इसलिए प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं । प्रार्थीगण का वादगत खेत खसरा नम्बर 1650/1580 तादादी 2.9350 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1652/1586 तादादी 1.0650 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1655/1591 तादादी 0.2450 हैक्टेयर वाकेरोही लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर कुल तादादी 4.2450 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का 1/3–1/3 हिस्सा जायज व कानूनन बनता हैं। प्रार्थीगण अपने कानूनी हिस्से को कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में लेते रहे आ रहे है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनता हैं। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने गलत मंशुबो में सफल हो गये तो ना तो पुरा होने वाला होगा, ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता हैं ।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वादगत वादगत खेत खसरा नम्बर 1650/1580 तादादी 2.9350 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1652/1586 तादादी 1.0650 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1655/1591 तादादी 0.2450 हैक्टेयर वाकेरोही लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थीगण को कब्जा नही करे, प्रार्थीगण को बेदखल नही करें, वादगत खेत को [illegible] हस्तान्तरण आदि नही करें तथा ना ही ऐसा कोई कृत्य [illegible] हितो पर विपरीत असर पड़ता हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:03 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया [illegible]कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को विधिवत रूप से नोटिस तामिल होनें के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 01 असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं आने के कारण

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned with OKEN Scanner

इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र/पुत्री हैं। प्रार्थीगण के दादा थानदास की संयुक्त खातेदारी के गत खाता संख्या 112 खेत खसरा नम्बर 265 तादादी 69 बीघा 11 बिस्वा व खाता संख्या 113 के खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 24 बीघा 17 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 234 तादादी 32 बीघा 2 बिस्वा खेत खसरा नम्बर 236 तादादी 7 बीघा 15 बिस्वा कुल तादादी 64 बीघा 14 बिस्वा रोही मौजा लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित रहे हैं। वादगत खेतो में प्रार्थीगण के दादा थानदास का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा हैं। प्रार्थीगण के दादा थानदास की मृत्यु के बाद वादगत खेतो की खातेदारी थानदास के जायज वारिसान गीता पत्नी थानदास, सत्यनारायण व प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 कानदास के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज हुई।वादगत खसरा नम्बर संयुक्त खातेदारों के मध्य हुये विभाजन के उपरांत स्व. थानदास के वारिसानों के हिस्से में खेत खसरा नम्बर 1580/768 तादादी 05.87 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1586/660 तादादी 2.13 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1591/664 तादादी 0.49 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुये एवं नये खाता संख्या 64 कायम किया गया। वादगत खेत खसरा नम्बर 1650/1580 तादादी 2.9350 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1652/1586 तादादी 1.0650 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1655/1591 तादादी 0.2450 हैक्टेयर वाकेरोही लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर कुल तादादी 4.2450 हैक्टेयर प्रार्थीगण के पैतृक खेत हैं। प्रार्थीगण का वादगत खेत में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हैं। अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

चूंकि हस्तगत प्रकरणं में प्रश्नगत भूमि अविभाजित पैतृक कृषि भूमि है, अस्थायी निषेधाज्ञा का उद्धेश्य मूलवाद की विषयवस्तु को सुरक्षित बनाए रखना है। अतः प्रार्थीगणों के हितो को सुरक्षित रखते हुए प्रतिवादीगण स्थान विशेष का उल्लेख न करते हुए किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करें। ताफैसला वाद मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐं रखें।

आदेश आज दिनांक 08.02.2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner